न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र०स० – 161/2023
उनवान : –

1 बृजलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी 7 एम. के. एस बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थी—

बनाम्

1 लिछमण पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
2 कपिल रेवाड पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी
3. कौशल्या देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
4. नीरज रेवाड पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
5. उमकला देवी पत्नी भूपराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
6. दिव्या पुत्री मनोज कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
7. भीमराज पुत्र भूपराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
8. मैनांवती पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
10 मोहनलाल पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अनिल सिडाना अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 11/3/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी चक न0 9 एम.के.एस जमांबदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 45/45 में दर्ज 3.0360 हे० में प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 के नाम ब. हिव भूमिं खातेदारी दर्ज है व इसी चक के खाता स० 13 / 13 में मुश्तरका खाता में दर्ज 5.3130 हे0 में अप्रार्थी स. 2 के नाम 2 / 5 हिस्सा अप्रार्थी स 3 के नाम 1/5 हिस्सा व अप्रार्थी स. 4 के नाम 2 / 5 हिस्सा व खातास 7/8 में मुश्तरका खाता में दर्ज 4.0480 हे. में अप्रार्थी स 5 के नाम 4 / 9 हिस्सा अप्रार्थी स. 6 के नाम 1/9 हिस्सा व अप्रार्थी स० 7 के नाम 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी स. 8 के नाम 1/ 9 हिस्सा व खाता स 58/57 में दर्ज 2.7830 हे. आराजी अप्रार्थी स. 9 के नाम भूमिं खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमांबदीया संलग्न प्रार्थना पत्र है । आराजी में आने जाने के लिये प्रार्थी को कोइ स्वीकृत शुदा रास्ता नही है प्रार्थी, अप्रार्थीगण स. 1 ता 9 के नाम दर्ज आराजी चक 9 एम. के. एस के प.न. 192/229 (14) कि.न. 11, 12, 13, 14/1. 0120, 15/1/0.2280, 15/2/0.025 पुर्व से पश्चिम लम्बा उत्तर दिशा के चिपता व प.न. 191/229 (15) कि.न. 15/1/0.2280, 16/1/0.2280 25/1/0.2280 व प. न. 191/230 (25) कि.न. 5/1/0.2280 उत्तर से दक्षिण लम्बा पूर्व दिशा के चिपता में सें अपनी कृषी भूमिं में चालू रास्ता से

Scanned with CamScanner

ता जाता है । जो प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 ता 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। क किलों में रास्ता मौका पर चालू है जिसका प्रार्थी उपयोग व उपभोग कर रहा है र्थी उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता चक 9 एम.के.एस के प.न. 192/229(14) 12, 13, 14/1.0120, 15/1/0.2280, 15/2/0.025 पूर्व से पश्चिम लम्बा उत्तर शा के चिपता व प.न. 191/229 (15) किला न0 15/1/0.2280, 16/1/0.2280, 5/1/0. 2280 व प.न. 191/230 (25) कि.न. 5/1/0.2280 उत्तर से दक्षिण म्बा पूर्व दिशा के चिपता 1.5 विस्वा स्वीकृत करवाना चाहता है इस रास्ते के अलावा र्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिये नजदीकी रास्ता नही है प्रार्थी के अपने त में आने जाने के लिये कोइ स्वीकृत शुदा रास्ता नही है जिससे उसे भारी परेशानी मानसिक वेदना हो रही है इसलिये प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है । र्थी इन्ही किलों में से होकर अपनें खेत में आता जाता है। यह रास्ता पिछले 40 र्षों से चला आ रहा है व मौका पर चालू है । वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत में ने–जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहा है। अब अप्रार्थीगण क्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीगण अपने इस विधि विरूद्ध कृ त्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने से वंचित रह जायेगा, जिससे उसे अपूर्णीय क्षति व घोर मानसिक वेदना होगी व ना हक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आर.टी.ए. मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि चक 9 एम.के.एस के प.न. 192/229 (14) कि.न. 11, 12, 13, 14 / 1.0120, 15/1/0. 2280, 15/2/0.025 पुर्व से पश्चिम लम्बा उत्तर दिशा के चिपता व प.न. 191/229 (15) कि. 15/1/0.2280, 16/1/0.2280, 25/1/0. 2280 व प.न. 191 / 230 (25) कि.न. 5/1/0.2280 उत्तर से दक्षिण लम्बा पूर्व दिशा के चिपता 1.5 विस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए अप्रार्थी संव 5 ता 8 की ओर से निम्न प्रकार से है:–

प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण स0 5 ता 8 जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही प्रार्थी ने यह कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी चक 9 एम. के. एस. प0न0 192/229 मु० 14 किलानं0 11 ता 15 व प0न0 191/229 मु० 15 किलानं0 15,16,25 व पवन0 191/230 मु0 25 किलानं0 5 में उत्तर से दक्षिण, पूर्वी दिशा में अपनी कृषि भूमि में आता जाता हो। हम अप्रार्थीगण की आराजी में कोई चालू रास्ता नही है। प्रार्थी चाहे जाने वाला रास्ता स्वीकृत करवाये जाने का अधिकारी नही है।

Scanned with CamScanner

ने यह कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के कोई नजदीक रास्ता न हो। प्राथी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए चाहे वाले रास्ता के अलावा कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है। हम अप्रार्थीगण द्वारा री नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है। मुताबिक जमाबन्दी नजरी नक्शा कम दूरी का ता निम्न प्रकार से चक 9 एम.के.एस के प0न0 191 / 230 मु0 25 किलानं0 1 कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है कि चक 9 एम.के.एस प0न0 190/230 मु0 24 किलानं० 5,6,15,16,25 में स्वीकृतशुदा रास्ता उतर से दक्षिण है। यह स्वीकृतशुदा ता प०न० 191/230 मु0 25 के किलानं0 1 के चिपता हुआ है। प्रार्थी की कृषि ने प०न० 191/230 मु0 25 किलानं0 3 है किलानं0 3 में आने जाने के लिए सबसे जदीकी रास्ता इसी पत्थर के किलानं0 1 व 2 में से उपलब्ध हैं । प्रार्थी द्वारा चाहा जाने वाला रास्ता सबसे अधिक दूरी का है जो करीब 9 बीघा लम्बा रास्ता है इतना म्बा रास्ता प्रार्थी स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। राजस्थान काश्तकारी धिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थी वही से रास्ता प्राप्त कर सकता है जहाँ से कम दूरी का हो । प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को जानबुझ कर तंग व परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपनी सुविधानुसार रास्ता की मांग नही कर सकता बल्कि जहाँ से कम दूरी का हो वहाँ से रास्ता की मांग कर सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता के अलावा कम दूरी के रास्ता की माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व टिब्बी से रिपोर्ट मंगवायी जाना अति आवश्यक है। माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व टिब्बी को यह आदेश फरमाया जाये कि चक 9 एम.के.एस के प0न0 190/230 मु0 24 के किलानं0 5,6,15,16,25 में स्वीकृतशुदा रास्ता है इस स्वीकृतशुदा रास्ता से प्रार्थी की कृषि भूमि प०न० 191/230 मु0 25 किलानं0 3 कितनी दूरी पर है, की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करवायी जावे ताकि प्रकरण का निस्तारण करने में सही वस्तुस्थिति न्यायालय में प्रस्तुत हो सके। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता कानूनन स्वीकृत करवाये जाने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी स0 1 ता 4 के अधिवकता द्वारा सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी स0 9 के अधिवकता ने आदेशिका मे अंकन किया कि 5 ता 8 द्वारा प्रस्तुत जवाब ही अप्रार्थी स0 9 का जवाब माना जावे। तहसलीदार राजस्व टिब्बी द्वारा रिपोर्ट पत्रांक राजकाज 9623296 दिनांक 08.07.2027 द्वारा प्राप्त हुई जिससे शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न पटवार ई मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया, पत्रावली के संलग्न नजरी नक्शा से र होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता मु0न0 14 एवं 15 में लगभग 10 बीघा बाई में है जबकि चक 9 एम.के.एस के प0न0 190/230 मु0 24 के किलानं0 15,16,25 में स्वीकृतशुदा रास्ता है एवं उक्त स्वीकृतशुदा मै0मु0 रास्ते के मु0न0 के किला न0 5 से प्रार्थी की खातेदारी लघुतम दूरी पर है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए ते की स्वीकृत शुदा रास्ते से दूरी अधिक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 251 ए की उपधारा(1)(ख)ii में प्रस्तावित रास्ते का लघुतम या निकटतम रूट प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम रूट से नहीं होने के कारण स्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानो से सुसंगत नही है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी अपने खेत के निकटतम रूट से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए नवीन आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner